भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2419

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

टोल प्लाजा

2419. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले दस वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर टोल की कीमतों में वृद्धि के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषकर तमिलनाडु में, राज्यवार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) टोल प्लाजा की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कितने एनएचएआई टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं; और

(घ) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर इतनी बड़ी संख्या में टोल प्लाजा होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सार्वजनिक वित्तपोषित शुल्क प्लाजाओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 और रियायतग्राही शुल्क प्लाजाओं के लिए रियायत समझौते के समय लागू शुल्क नियमों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क दरों को प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है।

इसके अलावा, संबंधित शुल्क प्लाजा पर टोल की लंबाई बढ़ने पर प्रयोक्ता शुल्क की दरें भी बढ़ जाती हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्यवार प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा का विवरण अनुबंध में दिया गया है। इसके अलावा, 28 फरवरी, 2025 तक तमिलनाडु राज्य में कुल 78 प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा चालू हैं।

(ग) विगत दस वर्षों में तमिलनाडु राज्य में कुल 31 प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा स्थापित किए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता-शुल्क प्लाजा प्रत्येक परियोजना पैकेज की लंबाई, यातायात का न्यूनतम डायवर्जन, प्लाजा भवन और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता, नगरपालिका सीमाओं से दूरी, एनएच शुल्क नियमावली 2008 के प्रावधानों आदि के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। तथापि, शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संबंधित शुल्क प्लाजा की परियोजना प्रभावित लंबाई के आधार पर एकत्र किया जाता है, और इसे परियोजना प्रभावित लंबाई के भीतर उसके विशिष्ट स्थान के आधार पर एकत्र नही किया जाता है।

तमिलनाडु राज्य में स्थापित शुल्क प्लाजा भी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 और संबंधित अनुबंध समझौते के अनुरूप स्थापित किए गए हैं।

अनुबंध

'टोल प्लाजा' के संबंध में श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा दिनांक 13.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2419 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत संचालित प्रयोक्ता शुल्क प्लाजाओं का राज्यवार विवरण:

राज्य का नाम	**28.02.2025 तक प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा की कुल संख्या**
आंध्र प्रदेश (क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा)	**72**
बिहार (क्षेत्रीय कार्यालय पटना)	**39**
छत्तीसगढ़ (क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर)	**22**
दिल्ली एवं ईपीई (क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली)	**60**
गुजरात (क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर)	**55**
हरियाणा (क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़)	**44**
पंजाब (क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़)	**39**
जम्मू और कश्मीर (क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू)	**6**
झारखंड (क्षेत्रीय कार्यालय रांची)	**19**
कर्नाटक (क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलोर)	**58**
केरल (क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनंतपुरम)	**9**
मध्य प्रदेश (क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर और क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल)	**90**
महाराष्ट्र (क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर)	**89**
उत्तर-पूर्व (क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी)	**14**
ओडिशा (क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर)	**31**
राजस्थान (क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर)	**156**
तमिलनाडु (क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई और क्षेत्रीय कार्यालय मदुरै)	**78**
तेलंगाना (क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद)	**36**
उत्तर प्रदेश (क्षेत्रीय कार्यालय यूपी पूर्व-वाराणसी और क्षेत्रीय कार्यालय यूपी पश्चिम-लखनऊ)	**97**
पश्चिम बंगाल (क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता)	**32**
उत्तराखंड (क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून)	**12**
हिमाचल प्रदेश (क्षेत्रीय कार्यालय शिमला)	**5**
कुल	**1063**

*****